न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–73/2019
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–22.08.2019
निर्णय दिनांक–22.03.2024

1. भंवरलाल पुत्र अर्जुनलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक
2. गोपाल पुत्र अर्जुनलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. नारायण पुत्र अर्जुनलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. बद्री पुत्र अर्जुनलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. चतुर्भुज पुत्र अर्जुनलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र लादू जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. सन्तरा पुत्री लादू जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. लाली पुत्री लादू जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. गीता पुत्री लादू जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. छोटी उर्फ रामधणी पुत्री लादू जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक
6. मोत्या पत्नि लादू जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. विनोद पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. सीमा पुत्री शंकरलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. हेमा पुत्री शंकरलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. किशना पुत्री शंकरलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. सन्तरा पुत्री शंकरलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
12. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1740 00–02 बिस्वा गै.मु. चाह वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू तह0 पीपलू में स्थित है। उक्त आराजी का

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अंकन खाता संख्या 21 ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक जमाबंदी संवत् 2071–74 में हो रखा है। आवेदकगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है। आवेदकगण व प्रतिपक्षीगण स्व. रामनिवास के उत्तराधिकारीगण वारिसान है। उपरोक्त वर्णित गै.मु. ख0न0 1740 के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण के पूर्वज अर्जुन व लादू पि0 रामनाथ अंकित कर रखा है। जबकि अर्जुन व लादू के पिता का नाम रामनिवास है। ग्राम पीपलू में अर्जुन व लादू के नाम से खाता नम्बर 22, 19, 20 है। उनमें आवेदकगण के पूर्वज अर्जुन व लादू पि0 रामनिवास सही रूप से अंकित हो रखा है। परन्तु खाता संख्या 21 में गलत रूप से अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ अंकित हो रखा है। राजस्व रिकॉर्ड के गलत अंकन के कारण आवेदकगण के पूर्वज अर्जुन, लादू का स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण आवेदकगण व विपक्षीगण के नाम नहीं हो पा रहा है। इसलिए न्यायहित मे उक्त खाता संख्या 21 में अंकित अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ के स्थान पर अर्जुन, लादू पि0 रामनिवास अंकित किया जावे। उक्त त्रुटी संहवन व लिपिकीय भूल के कारण हुई है। अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 1740 रकबा 00–02 बीघा गै.मु. चाह खाता संख्या 21 जमाबंदी संवत् 2071–74 में अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ के स्थान पर सही व वास्तविक नाम अर्जुन, लादू पि0 रामनिवास अंकित करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक दुरूस्ती करवायी जावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया की वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख0न0 1740 रकबा 00–02 बीघा किस्म गै.मु. चाह अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया है कि उक्त ख0न0 अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ के बजाय अर्जुन, लादू पि0 रामनिवास का अंकन किया जावे। मौके पर उक्त ख0न0 1740 गै.मु. चाह आवेदकगण व प्रतिपक्षीगण द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है एवं पीपलू ग्राम में अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ जाति माली के नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं होना बताया गया है।

प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 1740 रकबा 00–02 बिस्वा गै.मु. चाह वाके ग्राम पीपलू में स्थित है। आवेदकगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है। आवेदकगण व प्रतिपक्षीगण स्व. रामनिवास के उत्तराधिकारीगण वारिसान है। उपरोक्त वर्णित गै.मु. ख0न0 1740 के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण के पूर्वज अर्जुन व लादू पि0 रामनाथ अंकित कर रखा है। जबकि अर्जुन व लादू के पिता का नाम रामनिवास है। ग्राम पीपलू में अर्जुन व लादू के नाम से खाता नम्बर 22, 19, 20 है। उनमें आवेदकगण के पूर्वज अर्जुन व लादू पि0 रामनिवास सही रूप से अंकित हो रखा है। परन्तु खाता संख्या 21 में गलत रूप से अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ अंकित हो रखा है। राजस्व रिकॉर्ड के गलत अंकन के कारण आवेदकगण के पूर्वज अर्जुन, लादू का स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण आवेदकगण व विपक्षीगण के नाम नहीं हो पा रहा है। इसलिए न्यायहित मे उक्त खाता संख्या 21 में अंकित अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ के स्थान पर अर्जुन, लादू पि0 रामनिवास अंकित किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख0न0 1740 रकबा 00–02 बीघा किस्म गै.मु. चाह अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ जाति माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया है कि उक्त ख0न0 अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ के बजाय अर्जुन, लादू पि0 रामनिवास का अंकन किया जावे। मौके पर उक्त ख0न0 1740 गै.मु. चाह आवेदकगण व प्रतिपक्षीगण द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है एवं पीपलू ग्राम में अर्जुन, लादू पि0 रामनाथ जाति माली के नाम का कोई भी व्यक्ति नही होना बताया गया है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा भामाशाह कार्ड, जमाबंदी वाके ग्राम पीपलू की जमाबंदी संवत् 2071–74 खाता संख्या 19, खाता संख्या 20, खाता संख्या 22, शपथ पत्र कैलाश पुत्र नाथू जाति माली निवासी ग्राम पीपलू , शपथ पत्र भंवरलाल पुत्र अर्जुनलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण के पिता सही नाम रामनिवास है। जबकि खाता संख्या 21 वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू में वर्णित भूमि ख0न0 1740 रकबा 00–02 बीघा में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामनाथ दर्ज रिकॉर्ड हैं। जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटीपूर्ण अंकन **अर्जुन, लूाद पि0 रामनाथ जाति माली** के स्थान पर **"अर्जुन, लादू पि0 रामनिवास"** जाति माली हि0 जमाबंदी अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला-टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner